

XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1358-~~II~~115

जिला-~~...~~

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>8-7-15</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i> (एम.के.सिंह) सदस्य</p>	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

22-21, विविध प्रकरण क्रमांक :

/2015

स्था 1358-II-15

मौलवी बन्सल तनय रतन लखन
शाकिन उमरहर लहल
देवसर जिला मोधी (म.प्र.)
— आवेदक

विरुद्ध

उमर बन्सल तनय रतन लखन
शाकिन उमरहर लहल
देवसर जिला मोधी (म.प्र.)
— अनावेदक

श्री. विनोद भागवत - एडवोकेट
द्वारा आज दिनांक 3-6-15 को
प्रस्तुत

3-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत
निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

विनोद भागवत
एडवोकेट
द्वारा आज दिनांक
3-6-15

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक ~~13368~~ माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/4/15 को नियत था।
2. यह कि, नियत दिनांक 30/4/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 30/4/15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
3. यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक ~~13368~~ पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-ld

दिनांक 02-06-2015

स्थान-ग्वालियर

प्रार्थी
मौलवी बन्सल - आवेदक
(2121-अभिभाषक)
3112 ई. शाही

